29.4.15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी ने साक्षीवादी हेतु एक पत्र दिया जाता है। पत्रावली अग्रिम वादी साक्षीवादी हेतु दिनांक 22.6.15 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर पिण्डवाड़ा

16.6.15 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अभियान कैम्प शिविर पे पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि का एक वाद 163/2013 के 1.8.13 को न्यायालय ये विचाराधीन है अतः इस प्रकरण को प्रकरण से 163/2013 के साथ रखा जाता है। प्रकरण नम्बर से का हो।

16/6/15

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा

11.2.17 पत्रावली मंगवाने पर पेश हुई। वादी के वारिसदारान श्री अमराराम एवं उपस्थित। श्री कनाराम ने लोक अदालत की भावना से यह प्रकरण विड्रो होने निवेदन किया। वाद के विड्रो बाबत प्रार्थी ने उसकी माता व बहिन से सहमति ले ली है। वादी ने विवादित भूमि पूर्व के विभाग बटी है अतः वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः वादी के वारिसदारान से वाद वापस चलाने का वाद विड्रा

वाद चलाना नहीं चाहता है। कनाराम

वाद विड्रा सहमति मेरी माता व बहिन से ले ली है। कनाराम